न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मन्दिर श्री नृसिंहजी बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा.पत्र पत्थरगढ़ी मु.न. - 50/19
26-7-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन हा./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है। दिनांक 29-7-21 को पेश हो।
29-7-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-8-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
25-8-21	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकीलान उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 LR Act के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर घोषित किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] आदेश जारी हो। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	25/08/21 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
50/2019	2019/160	15.07.2019	25.08.2021

उनवान प्रकरण

मंदिर श्री नृसिंह जी विराजमान रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये पुजारी सत्यप्रकाश पुत्र भक्तेश्वरजी उम्र 54 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1. विनित पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण उम्र–35 साल निवासी ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव एड0 – प्रार्थी की ओर से

श्री बजरंग लाल यादव एड0– अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी नं. 2 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा

25/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नंबर 364, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंहजी है। प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंह जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का दिनांक 21.11.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 60 दिनांक 02.06.2017 की अनुपालना मे विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त खसरा नम्बर का अप्रार्थी सं. 1 उत्तरी दिशा का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सीवडोल नष्ट कर अतिक्रमण करने पर उतारू रहता है जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 2 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 उपस्थित आये एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्रामरूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 364, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंहजी है। प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंह जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का दिनांक 21.11.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 60 दिनांक 02.06.2017 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वही अप्रार्थी नं. के अधिवक्ता ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 21.11.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम ग्रामरूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 364, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंहजी है। प्रार्थी मंदिर श्री नृसिंह जी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested

23/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 02.06.2017 की अनुपालना में पटवारी हल्का करड़का द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 21.11.2017 को विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का करड़का द्वारा दिनांक 21.11.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 364, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/— रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/— रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का करड़का द्वारा दिनांक 21.11.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/08/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested